भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 128*
(26 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

योजनाओं का पुन: नामकरण

***128. श्री नकुल के. नाथ:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय की ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका सरकार द्वारा वर्ष 2014 के उपरांत पुन: नामकरण किया गया है;

(ख) वर्ष 2014 के उपरांत इन योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिन योजनाओं का पुन: नामकरण कर दिया गया है उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

i. पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना-इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 01 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुनर्गठित कर दिया गया है। ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कुल 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य सभी ग्रामीण आवासहीन परिवारों और कच्चे तथा जीर्णशीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ii. वर्ष 2015 में केंद्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का पुन: नामकरण दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) कर दिया गया था। वर्ष 2014 में इसके कौशल घटक का पुन: नामकरण दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) कर दिया गया था। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य लगभग 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में एकजुट करना और उन्हें ऐसी दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है जिससे वे अपनी आजीविकाओं में विविधता ला सकें, अपनी आय तथा जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सकें।

(ख) वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक बजट अनुमान और संशोधित अनुमान का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 128 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(i) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत बजट अनुमान और संशोधित अनुमान का वर्ष-वार ब्यौरा:

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	संशोधित अनुमान (सं.अ.)
2015-16	10025.00	10025.00
2016-17	15000.00	16078.60
2017-18	23000.00	22832.31
2018-19	21000.00	19600.00
2019-20	19000.00	18455.20
2020-21	19500.00	19500.00
2021-22	30057.15	30056.87
2022-23	20000.00	-

(ii) वर्ष 2014-15 से डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत बजट आवंटन इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	संशोधित अनुमान (सं.अ.)
2015-16*	2705	2705
2016-17	3000	3168.15
2017-18	4500	4350.83
2018-19	5750	5783.5
2019-20	9024	9024
2020-21	9210.04	9209.53
2021-22	13677.61	10813.89
2022-23	13336.42	-

* स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) सहित

****